

डा0 के0के0 पाल

राज्यपाल एवं

कुलाधिपति, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0

विश्वविद्यालय, पन्तनगर।



सत्यमेव जयते

संख्या-

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

/जी0एस0/C2-4-2/शिक्षा/2018

देहरादून : दिनांक : 23 मार्च, 2018

आदेश

गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय में लागू उ0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-11(6) के अन्तर्गत आदेश संख्या-2408 दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा डा0 ए0के0 मिश्रा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ वेटेरनरी, ग्यानेकॉलोजी एण्ड ऑबस्ट्रीक, कॉलेज ऑफ वेटेरनरी एण्ड एनिमल साइंस, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर को छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर का कुलपति नियुक्त किया गया था, जिनका छः माह का कार्यकाल दिनांक 25 मार्च, 2018 को समाप्त हो रहा है।

नये नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। किन्तु शासन से पैनल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत उ0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-11(6)(a से c) के परन्तुक के अन्तर्गत डा0 ए0के0 मिश्रा का कुलपति पद पर कार्यकाल दिनांक 26 मार्च, 2017 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

ह0/-

डा0 के0 के0 पाल
कुलाधिपति।

संख्या 4722 (1)/जी0एस0/C2-4-2/शिक्षा/2018, तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को विश्वविद्यालय के नये नियमित कुलपति के चयन प्रक्रिया की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रेषित।
4. महानिदेशक, (मानव संसाधन विकास) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन नई दिल्ली।
5. डा0 ए0के0 मिश्रा, वर्तमान कुलपति, गो0ब0प0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, ऊधमसिंहनगर।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)

सचिव श्री राज्यपाल।